न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2431 / 2004 / सवाईमाधोपुर

1—किशोर पुत्र सरदार जाति गुर्जर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर

—अपीलांट

बनाम

1—पानबाई बेवा विजय सिंह जाति गुर्जर निवासी हबीबपुर तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर
2—राजस्थार सरकार

—रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः—
(1) श्री मदनलाल गुर्जर अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
(2) श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्ता रैस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक : —7—2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26—5—2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया रेस्पोडेंट संख्या एक ने वाद उपजिला कलक्टर गंगापुरसिटी के समक्षण घोषणा,दुरस्ती इन्द्राज वहुक्म इम्तनाई दावामी पेश कर बतायाकि ग्राम हबीबपुर में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 490 रकबा 4.02 हैक्टर में से 1.25 हेक्टर दिनांक 25—5—86 को वादिया के पति स्व0 विजय सिंह को आवंटन किया गया था। आवंटन आदेश के तहत दिनांक 26—6—87 को खसरा नमबर 490 की शीट में आवंटित भूमि

बावत तरमीम करके कब्जा दे दिया तथा नामा0 संख्या 12 दिनांक 18–8–87 को वादीया के पति के नाम स्वीकृत किया गया एवं नामा0 की पुश्त पर कब्जा दिया गया उसका नक्शा भी बना दिया गया तथा पुराना खसरा नम्बर 490/1 कायम किया गया । उसके दक्षिण में बची शेष भूम रकबा 2078 हैक्टर खसरा नमबर 490/2 कायम कियागया। वादियाका पति अपने जीवनकाल में आवंटित भूमि पर काश्त श्करता रहा है। प्रतिवादी ने बिना किसी आदेश व अधिकार के खसरा नंबर 490/1 की स्थिति को शीट में बदल दिया । इस कारण से वादिया को यह वाद पेशकरना पडा रहा है। साथ ही दावा पेश कर निवेदन किया कि तरमीम को नल एण्डवाइड घोषित किया जावे व शीट में पूर्व की तरह दुरस्ती की जाकर प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रतिवादी राज्य सरकार ने कोई जबाव दावा पेश नही किया। प्रतिवादी/अपीलांट ने अपना जबावदावा पेश कर दावा के कथनों से इंकार किया और बताया कि खसरा नम्बर 490 में से विजय सिंह को भूमि आवंटित हुई थी उसकी मृत्यु 1990 में होने पर उसकी वारिस मात्र एक बच्ची है जो नबाबालिक है। वादिया विजय की मृत्युके बाद राजेन्द्र गुर्जर के नाते बैठ चुकी है एवं राजेन्द्र से वादिया के एक लडकी पैदा हो चुकी है। वादिया न तो विजय सिंह की वारिस है और न ही कायम मुकाम। उसका विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। विवादित आराजी पर रुपचन्द सेक्रेटरी व रामेश्वर आदि काश्त करते है। जिनको दावे में पक्षकार नही बनाया हैं हाल नक्शे के मुताबिक खसरा नंबर 490/1का 1.24 हेक्टर रकबा मौके पर मौजूद है। अतः दावा खारिज किया जावे। उभयपक्ष के अभिकथनों के आधार पर दावा व जबाव दावा के आधार पर कुल 6 तनकी कायम की गयी। तदोपरान्त दावे में साक्ष्य आदि लेकर विद्वान उप जिला कलक्टर गंगापुरसिटी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7–8–2003 के द्वारा वाद वादिया खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध वादिया द्वारा अपील न्यायालय राजसव अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे विद्वान राजस्व

अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–5–2004 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7–8–03 को निरस्त कर दिया, जिससे प्रतिवेदित होकर प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस बतायाकि विद्वानपरीक्षण न्यायालय ने दोनो पक्षों की ओरसे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आयधार पर अपना विस्तृत करते हुए ही वादिया के वाद को खारिज किया है। उनका आगे तर्क है कि प्रतिवादी संख्या एक राज्य सरकार द्वारा खसरा नम्बर 490/1 के उपर जो रास्ता तरमीम की गयी है वह रास्ता मौजूद था तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4 के अनुसार जो रास्ता की तरमीम की गयी है वह सही था। खसरा नम्बर 490 की जो तरमीम की गयी है उसके उत्तर की ओर खसरा नंबर 490/2 की भूमि है तथा खसरा नम्बर 490/1 के उपर की ओर रास्ता है व दक्षिण की ओर खसरा नंबर 490/2 की भूमि में वादिया ने खसरा नमबर 490/2 में अपीलांट का अतिक्रमण होने के तथ्य से भी इंकार नही किया है।ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या एक द्वारा नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4 के अनुसार जो तरमीम की गयी है वह प्रतिवादी/अपीलांट के पुराने कब्जे को देखते हुए व रास्ता की स्थिति को देखते हुए ही की गयी है। इस तरमीम से वादिया के आवंटित रकबा 5 बीघा में किसी प्रकार की कमी नही आई है। वादिया का वाद इस प्रकार अस्पष्ट था जो साबित नही कर पायी है।

5– उनका मुख्य तर्क यह भी है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों की पालना नही करते हुए यानी तनकी वार विस्तृत विवेचन नही कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है और वादी/रेस्पोडेंट द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय नहीं है। बल्कि राजस्व नक्शे में तरमीम के

लिए उन्हे धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी और उक्त दोनो कानूनी बिन्दुओं पर ही अपील स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया करने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में आरबीजे 2015 पेज 691,आरबीजे 2012 पेज 99 व आरआरटी 2016 पेज 206 के उद्धरण प्रस्तुत किये।

6— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने बताया कि वादिनी के जानकारी के बिना तथा बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी ने नक्शे में स्थिति को बदल दिया तथा उत्तरी भाग में खसरा नंबर 490/1 की 1.24 हैक्टर भूमि में वादिया से लगी हुई थी उसको दक्षिण तरफ सरका दिया तथा उत्तरी दिशा के आखिरी जगह पर खसरा नंबर 490/2 अंकित कर दिया एवं पश्चिमी मेड के सहारे सहारे रास्ता बता दिया। इस तरह नक्शा को बिना किसी आदेश के एग्जीविट 4 में बदल दिया जबकि मौके पर कब्जा हमारा ही है। सरकार की ओर से कोई जबाव पेश नही किया है, जिससे यह सिद्ध है कि विवादित आराजी पर हमारा ही कब्जा है। परन्तु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही हमारा दावा गलत आधारों पर खारिज किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने तनकी वाइज निर्णय पारित नही किया है, जिससे आदेश 41 नियम 31 सीपीसी की अवहेलना हुई है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने चाहे तनकीवार निर्णय पारित नही किया है ,लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए एवं समस्त बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो आदेश 41 नियम 31 सीपीसी की परिधि में ही आता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानूनी त्रुटि से ग्रस्त नही है। अन्त में अपील खाजिर कर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7— हमने उभयपपक्ष की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलबध एग्जीविट

3 व एग्जीविट 4 का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि वादी /रेस्पोडेंट के खसरा 490/1 की लोकेशन में बिना किसी आदेश के नक्शे में पूर्व की स्थिति को बदला गया है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने तनकी वार विश्लेषण नही करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7–8–2003 के द्वारा दावा खारिज किया है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय में यद्यपि तनकीवार निर्णय पारित नही किया है फिर भी वादी/रेस्पोडेंट द्वारा उनकी भार की तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किये गये गवाहान व बयानात गवाहान आदि का विश्लेषण अपने निर्णय में किया है एवं मुख्य रुप से जो एग्जीविट 3 व एग्जीविट 4 जो क्रमशः वादी/रेस्पोडंट के पति विजय सिंह को खसरा नम्बर 490/1 पर आवंटित नक्शे में की गयी तरमीम काफी समय बाद खसरा नंबर 490/2 की नियत की गयी लोकेशन व तरमीम का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए जो निर्णय दिनांक 6–5–2004 को पारित किया है वह आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों के अनुशरण में ही है और इससे यह पुष्ट भी है कि वादी/रेस्पोडेंट इस भूमि के आवंटन से लेकर दावा दायरी तक आवंटित भूमि पर काबिज रहे है तथा उन्ही का कब्जा चला आ रहा है जो कि दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित है। अपीलांट किशोर द्वारा रेस्पोडेंट की इस आवटित भूमि के आवंटन को खारिज कराने के लिए प्रार्थनापत्र नियम 14(4) के अन्तर्गत कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–10–1999 के द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है और कलक्टर सवाईमाधोपुर के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उक्त अपील दिनांक 21–9–2000 को खारिज की गयी है। प्रदर्श एग्जीविट 3 व एग्जीविट 4 से सीधे वादी/रेस्पोडेंट के आवंटन से प्राप्त कब्जा और नियमित कब्जा होने की स्थिति प्रमाणित होती है और चूँकि अपीलांट/प्रतिवादी ने उसके इन खातेदारी अधिकारों व मौके पर कब्जे से भी इंकार नही किया है। इसलिए धारा 88 व 188 आरटीएक्ट के अन्तर्गत दावे में चाही

गयी रिलीफ कानूनी तौर पर प्राप्त करने का उचित माध्यम है और अपीलांट के अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह मुद्दा कि यह मामला सिर्फ धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का है से हम कानूनी रुप से सहमत नहीं है। परिणामस्वरुप यह अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26—5—2004 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन) (वी.श्रीनिवास)

सदस्य अध्यक्ष